Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

शेषकरण पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़

बनाम

कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम प्रकरण सं.– 30/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
09.02.2023		

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज हाजिर। रेस्पोडेंट संख्या 1 को भेजा गया सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 कृष्णलाल के पक्ष में स्वीकृत जैर अपील भूमि यथा चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है0 की हद तक के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। परन्तु लिपिकीय त्रुटिवंश गलत अनुतोष अंकित हो गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है। परन्तु अपील में अनुतोष गलत मांगा गया है, जो कि लिपकीय त्रुटिवंश सहवन से अंकन किया जाना सिद्व होता है तथा प्रकरण में कानूनी बिन्दु भी निहित है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे जारी किया गया है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से हुई, तब उक्त आदेश नकल दिनांक 08.07.2020 को लेकर बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी गई है। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज द्वारा ना तो कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के दादा स्व0 भजनलाल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई साकिन माणकसर के नाम से चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है, पत्थर न. 46/374 के किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 इस प्रकार कुल 0.582 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जिसमें से अपीलांट के दादा स्व0 भजनलाल ने चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 46/374 के किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 है0 कुल 0.329 है0 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 31.05.2011 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 कृष्णलाल पुत्र काशीराम के पक्ष में सम्पादित कर दिया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करते समय भजनलाल के [illegible] भूमि [illegible] पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है, पत्थर न[illegible]374 [illegible] किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज कर दिया। अतः अपील अपीला[illegible]र की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2017 में अंकित [illegible] पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है0 भूमि की हद तक नामांतरण खारिज कर उक्त भूमि पुनः स्व0 भजनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:26:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार सज ने दौराने बहस कथन किया कि इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटिवश स्व0 भजनलाल की समस्त भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया है। यदि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के दादा स्व0 भजनलाल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई साकिन गाणकसर के नाम से चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है, पत्थर न. 46/374 के किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 इस प्रकार कुल 0.582 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जिसमें से अपीलांट के दादा स्व0 भजनलाल ने चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 46/374 के किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 है0 कुल 0.329 है0 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 31.05.2011 को रेस्पोडेंट संख्या 01 कृष्णलाल पुत्र काशीराम के पक्ष में सम्पादित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 31.05.2011 अनुसार ही इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश भजनलाल के नाम की समस्त भूमि यथा चक 34 पीबीएन के पत्थर न. 47/374 के किला न. 13 की 0.253 है, पत्थर न. 46/374 के किला न. 2 की 0.253 है0, किला न. 3 की 0.076 इस प्रकार कुल 0.582 है0 भूमि का इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 रेस्पोडेंट संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह साबित है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज ना कर पूरे खाते का नामांतरण दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 276 दिनांक 29.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए स्व0 भजनलाल द्वारा सम्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.05.2011 का भलिभांती अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 25.2.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश होवे। पत्रावली बाद तस्दीक तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:26:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner